कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

परिषद की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक 11.10.2017

प्रस्ताव क्रमांक–01

महापौर परिषद की बैठक दिनांक 12.04.2017,दिनांक 06.05.2017,दिनांक 23.06.2017,दिनांक 13.07.2017 दिनांक 17.08.2017,दिनांक 22.09.2017 का कार्यवाही विवरण परिषद पटल पर अवलोकनार्थ।

संकल्प –01

प्रकरण प्रस्तुत हुआ महापौर परिषद् के उपरोक्त बैठको में पारित निर्णय परिषद् पटल पर अवलोकनार्थ रखा गया।

सचिव

अध्यक्ष (स्पीकर)

D:\SwasthVibhag-2017\Parishad-2017

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

परिषद की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक 11.10.2017

प्रस्ताव क्रमांक–02

प्रकरण,श्रीमती ऐश्वर्या तिवारी के मानसरोवर आवासीय योजना में 12×18 मी.आकार के भूखण्ड आबंटन से संबंधित है। आवेदिका द्वारा तत्कालीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) कार्यकाल में वसुंधरा नगर,उत्तर आवासीय योजना में आकार 15×24 मी.भूखंड के लिये प्रब्याजी राशि 19,080.00 रू रसीद कमांक–202/24 दिनांक 22.09.1990 को जमा किया गया ,किन्तु उक्त योजना में भूखंड उपलब्ध नही होने के कारण मानसरोवर आवासीय योजना में 12×18 मीटर (आवास–सह–व्यवसाय) आकार के भूखंड आबंटन सहमति लेकर किया जाना था । आवेदिका द्वारा तत्समय लिखित सहमति नही दी गई।इस कारण से आबंटन की कार्यवाही लंबित रही ।आवेदिका द्वारा नगर पालिका परिषद् भिलाई –चरोदा गठन उपरांत उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत कर भूखंड आबंटन की मांग की गई । निकाय द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश के विरूद्ध राज्य उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग एवं केन्द्रीय आयोग में अपील की गई।राज्य आयोग द्वारा आदेश में संशोधन करते हुये आदेश के कंडिका –13 में निर्देश दिया गया की साडा या नगर पालिका परिषद् के नार्म्स के अनुसार वर्तमान बाजार दर के आधार पर आकार 12×18 मी.का भूखंड उपलब्ध कराया जावें। आवेदिका द्वारा 22.09.1990 को जमा की गई राशि 19,080.00 रू.में 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की गणना कर मूल में जोड़कर,वर्तमान बाजार दर के आधार पर गणना किये गये,भूखंड के मूल्य में घटाकर,शेष राशि जमा कराकर आवेदिका को स्वंय के व्यय से पंजीयन कराया जावें ।

वर्तमान में मानसरोवर आवासीय– सह–व्यवसाय योजना में आकार 12×18 मी.का ब्लाक कं–9 बी,भूखंड कमांक –05 रिक्त है। कलेक्टर गाईड लाईन 2015–16 के अनुसार 6,250.00 रू प्रतिवर्ग मीटर की दर से 216 वर्ग मीटर का 13,50,00.00 रू.भूखंड की कुल कीमत है। पूर्व में 19,080.00 रू का 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज(25 वर्ष 3माह का) 43,354.00 रू होता है । इस प्रकार मूल राशि 19080.00 रू.+ मूल राशि 43,354.00रू=62,434.00 रू. है।प्रब्याजी राशि 13,50,000.00 रू में से राशि 62,434.00 रू घटाने पर शेष राशि 12,87,566.00रू आवेदिका को जमा करना होगा।

उपरोक्त गणना वर्ष, 2015–16 के कलेक्टर गाईड लाईन(बाजार दर)के आधार पर की गई है। स्वीकृति उपरांत तत्समय लागू बाजार दर के अनुसार पुनः गणना कर ,राशि जमा कराई जाने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जावें।

उल्लेखनीय है कि नियमानुसार 1.00 लाख से अधिक सम्पत्ति के आबंटन का अधिकार राज्य शासन के अधीन है ।इस हेतु सामान्य सभा में संकल्प पारित कर,संकल्प सहित प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है।

संकल्प –02

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर स्वीकृति का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।

सचिव

अध्यक्ष (स्पीकर)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

परिषद की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक 11.10.2017

प्रस्ताव क्रमांक–03

निकाय द्वारा विभिन्न वार्डो में आवश्यक मूलभूत कार्यो का समावेश करते हुए कार्यालयीन पत्र क्र./370/लो.क.वि./2016, दिनांक–11.11.2016 द्वारा संयुक्त संचालक,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर (छ0ग0) को भेजा गया ।

संयुक्त संचालक,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग कें पत्र क./10731/चार./ले. अनु./2016–17 नया रायपुर दिनांक–10.01.2017 द्वारा निम्नानुसार कार्यो एवं राशि 607.91 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।जिसके तहत निम्नानुसार उल्लेखित 01 कार्य की लागत 1.00 करोड़ से अधिक है:–

क.	वार्ड क.	कार्य का विवरण	लागत राशि (लाख मे)
1	2	3	4
1.	17	जी.ई.रोड बौद्ध बिहार से चरोदा बस्ती मध्य पुल तक नाला निर्माण	132.16

अतएव उपरोक्तानुसार उल्लेखित कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति व निविदा आमंत्रित किए जाने की अनुमति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है ।

संकल्प –03

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर स्वीकृति का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।

सचिव

अध्यक्ष (स्पीकर)

D:\Swasth Vibhag-2017\Parishad-2017

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

परिषद की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक 11.10.2017

प्रस्ताव क्रमांक–04

उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा राजनांदगांव से प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 का अवलोकन करने बावत्।

संकल्प –04

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा किया गया । वर्ष 2015–16 का अंकेक्षण प्रतिवेदन परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन पटल पर रखने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।

सचिव

अध्यक्ष (स्पीकर)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

परिषद की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक 11.10.2017

प्रस्ताव क्रमांक–05

संयुक्त कलेक्टर जिला कार्यालय दुर्ग से प्राप्त पत्र पृ.क्रमांक 5502/सि.सू.शा/2017 दुर्ग दिनांक 22.04.2017 विभिन्न विभागों के माध्यम से प्राप्त पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही बावत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया। सभी शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के नाम संशोधित कर पुरानी भिलाई लिखे जाने से संबंधित है। नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा/नगर निगम भिलाई–चरौदा के नाम से राज पत्र में गठन प्रकाशित हुआ है तथा उनके नाम से पत्राचार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में पुरानी भिलाई नाम से पत्राचार किया जाना संभव नही है। अतः प्रकरण निरस्त किये जाने की सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।

सलाहकार समिति के सुझाव एवं प्रस्तावित विषय पर विस्तृत चर्चा किया गया पत्र में मांग किया गया है कि इस निकाय क्षेत्र का नाम पुरानी भिलाई रखा जावे। तत्तसंबंध में पाया गया की नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा में विभिन्न 15 ग्रामो को मिलाकर निगम का गठन किया गया है, ऐसी स्थिति में इन राजस्व ग्रामों का नाम विलोपित किया जाना उचित नही होगा। निकाय का नाम राजपत्र में नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा में नाम से प्रकाशित है। जिसमें समाहित ग्रामों का नाम भी प्रकाशित है। अतः प्रकरण परिषद में रखने की अनुशंसा सर्वसम्मति की गई है।

<u>संकल्प –05</u> प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई। नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा में विभिन्न 15 ग्रामों को मिलाकर इस निगम का गठन किया गया है। ऐसी स्थिति में इन राजस्व ग्रामों का नाम विलोपित किया जाना उचित नही होगा। अतः निकाय का नाम राजपत्र में प्रकाशित अनुसार नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा यथावत् ही रखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।

सचिव

अध्यक्ष (स्पीकर)

D:\SwasthVibhag-2017\Parishad-2017

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

परिषद की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक 11.10.2017

प्रस्ताव क्रमांक–06

चन्दूलाल चन्द्राकर व्यवसायिक परिसर भिलाई–3 में आबंटित चबूतरो के संबंध में ।

निकाय क्षेत्रान्तर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के समय चन्दूलाल चन्द्राकर व्यवसायिक परिसर भिलाई–3 में कुल 214 नग चबूतरे निर्मित किये गये है। जिनमें व्यवस्थापन के तहत 188 नग चबूतरे आबंटित है। चबूतरे की कुल कीमत 15000/– निर्धारित किया गया जिसके अन्तर्गत पंजीयन राशि 3000/– रू एवं शेष राशि 300/– रू. मासिक किस्त पर भुगतान किया जाना था। मासिक 60/–रू एवं 100रू निर्धारित था। नगर पालिका परिषद गठन के पश्चात परिषद की सामान्य सभा के बैठक दिनांक 09.05.2003 में 18 प्रतिशत ब्याज सहित शेष प्रब्याजी राशि जमा कराने का निर्णय पारित किया गया। सामान्य सभा सम्मेलन दिनांक 27.07.2010 में शेष प्रब्याजी राशि को 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 01 वर्ष के अन्दर 04 समान किस्तो में जमा कराने का निर्णय लिया गया । उक्त अवधि में शेष राशि जमा नही किये जाने पर जमा राशि राजसात कर आबंटन निरस्त माना जावेगा। बकाया किराया राशि के संबंध में परिषद के निर्णय दिनांक 10.02.2006 को यथावत रखते हुये पालिका गठन दिनांक से 01 रूपया प्रतिदिन एवं 10.02.2006 से प्रतिदिन 02 रूपय की दर से वसूल करने का निर्णय लिया गया। बकाया किराया राशि 01 वर्ष में जमा करने पर ब्याज राशि में छूट प्रदान की गई । 01 वर्ष पश्चात 14 प्रतिशत वार्षिक अधिभार लिया जावे का निर्णय लिया गया। सामान्य सभा सम्मिलन दि. 08.08.2014 में पुनः एक बार 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रब्याजी राशि जमा करने हेतु पत्र जारी दिनांक से 90 दिनो का अवसर प्रदान किया गया। व्यवसायियो द्वारा अधिभार एवं ब्याज माफी की मांग पर विचारार्थ सामान्य सभा दिनांक 30.03.2015 के अनुसार संपूर्ण प्रब्याजी राशि जमा करने हेतु दिनांक 30.04.2015 निर्धारित की गई।

उक्त अवधि में जमा करने वाले आबंटितो के ही प्रकरण में अधिभार छूट हेतु शासन को भेजा जावे।शासन स्वीकृति के उपरांत ही छूट का लाभ दिया जाने तथा स्वीकृति के अभाव में संपूर्ण अधिभार आबंटितो से लिये जाने का निर्णय लिया गया। कार्यालयीन पत्र कमांक /767/दिनांक 29.06.2015 द्वारा ऐसे कुल 99 आबंटिती जिन्होने शेष प्रब्याजी राशि तथा किराया राशि जमा कराई की सूची संलग्नकर अधिभार राशि को माफ करने की अनुमति हेतु शासन को भेजा गया। तत्संबंध में किसी तरह की अनुमति अप्राप्त है,वर्तमान में किये गये सर्वेक्षण अनुसार विवरण निम्नानुसार है:–

आबंटित चबूतरे	–	188
व्यवसायरत आबंटिती	–	58
ऐसे आबंटिती जो व्यवसाय नही कर रहे	–	88
अन्य जिनके द्वारा क्रय कर लिया जाना बताया जा रहा है।	–	34
किराये पर	–	03
विवादित	–	05
रिक्त	–	26
चबूतरे से बाहर जमीन पर व्यवसायरत	–	14

उल्लेखनीय है कि 16+99 =115 आबंटितो द्वारा प्रब्याजी राशि जमा कराई

गई उपरोक्तानुसार प्रकरण एम.आई.सी.के बैठक में रखा जाना हेतु प्रस्तावित।

संकल्प –06

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत सदन की सहमति से सभापति महोदय द्वारा संबंधित विषय के समाधान के लिये विशेष समिति का गठन निम्नानुसार किया गया :–

1. महापौर	श्रीमती चंद्रकांता माण्डले	पदेन अध्यक्ष
2. सभापति	श्री विजय जैन	सदस्य
3. आयुक्त	श्री लोकेश्वर साहू	सदस्य
4. प्रभारी राजस्व एवं बाजार	श्री किशोर साहू	सदस्य
5. पार्षद	श्रीमती सुषमा जेठानी	सदस्य
6. पार्षद	श्री फिरोज फारूकी	सदस्य
7. पार्षद	श्री दिलीप पटेल	सदस्य
8. कार्यपालन अभियंता	श्री आर के चंद्राकर	सदस्य
9. राजस्व निरीक्षक	श्रीमती अरूणिमा दुबे	सदस्य सचिव

उपरोक्त विशेष समिति द्वारा लिये गये निर्णय परिषद् का निर्णय होगा की स्वीकृति सर्वसम्मति से लिया जाता है।

सचिव

अध्यक्ष (स्पीकर)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

परिषद की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक 11.10.2017

प्रस्ताव क्रमांक–07

माननीय विधायक श्री सांवला राम डाहरे जी, अहिवारा विधानसभा द्वारा वार्ड कं. 17 एवं 07 के निर्मित उघान का नाम क्रमशः पं. दीनदयाल उपाध्याय व श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखे जाने की अनुशंसा की गई है।

वर्तमान में वार्ड कं. 17 एवं 07 के निर्मित उघानों का नामकरण नही हुआ है।

अतएव वार्ड कं. 17 का उघान पं. दीनदयाल उपाध्याय व 07 का उघान श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखे जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>संकल्प –07</u>

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई वार्ड कं. 17 स्थित उद्यान को पं दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने पर स्थानीय वार्ड पार्षद श्री राजेश दाण्डेकर द्वारा आपत्ति दर्ज कराये जाने के कारण इस उद्यान के नामकरण पर कलेक्टर दुर्ग से निरीक्षण कराया गया है, जिसपर प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत पुनः परिषद् में रखा जावें। तब तक नामकरण कि प्रक्रिया स्थगित रखा जावें एवं वार्ड कं. 07 में निर्मित उद्यान का नाम श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर नामकरण किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।

सचिव

अध्यक्ष (स्पीकर)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

परिषद की सामान्य सभा (बैठक) दिनांक 11.10.2017

प्रस्ताव क्रमांक–08

निकाय क्षेत्र के विभिन्न आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं में 31.03.2017 तक भवन निर्माण किये बगैर लीज नवीनीकरण एवं नामांतरण पर प्रतिबंध एवं भू–खण्ड का आबंटन निरस्त कर राजसात किये जाने के संबंध में विचारार्थ।

तत्कालीन विशेष क्षेत्र विकास प्रतिधकरण भिलाई दुर्ग द्वारा उत्तर एवं दक्षिण वसुंधरा नगर आवासीय योजना, विश्व बैंक आवासीय योजना, मानसरोवर आवासीय योजना, ट्रान्सपोर्ट नगर एवं निहारिका परिसर व्यवसायिक योजना में प्रथम आया प्रथम पाया के आधार पर भू–खण्ड आबंटित किये गये। विशेष कर विश्व बैंक आवासीय योजना में भू–खण्ड के आकार के अनुसार 15 एवं 20 वर्षीय किस्तों में भू–खण्ड प्रदाय किये गये। निर्धारित अवधि में सम्पूर्ण प्रब्याजी राशि जमाकर पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण किया जाना अनिवार्य था। इसके सहित उक्त समस्त योजनाओं में पंजीयन तिथि से 02 वर्ष के भीतर भवन (मकान) निर्माण अनिवार्य है इसका उल्लेख लीज–डीड में है। पूर्व निकाय नगर पालिका परिषद, भिलाई–चरौदा, के सामान्य सभा की बैठक दिनांक 30.03.2015 के प्रस्ताव संकल्प क्रमांक–08 में निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया।

1. समस्त भू–खण्ड धारक जिसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा शेष है, सभी भवन निर्माण हेतु 02 वर्ष अर्थात दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2017 तक अवधि अंतिम रूप से प्रदान की जाती है।
2. निर्धारित अवधि में भू–खण्ड धारक को भू–खण्ड विक्रय की अनुमति नही होगी।
3. निर्धारित अवधि में निर्माण न करने की स्थिति में लीज अवधि समाप्त हो चुकी हो अथवा शेष हो दोनों स्थिति में भू–खण्ड का आबंटन निरस्त कर निकाय के आधिपत्य में लेते हुए जमा राशि से सेवा शुल्क कटौती कर शेष राशि आबंटिती को वापस की जावेगी।

   तत्संबंध में भू–खण्ड धारकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अवधि में आंशिक वृद्वि का अनुरोध किया गया है।

अतः प्रकरण सामान्य सभा की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्प –08

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्तानुसार पूर्व परिषद निर्णय बैठक दिनांक 30.03.2015 के प्रस्ताव एवं संकल्प क्र–08 पर पुर्नविचार करते हुये निम्नानुसार संशोधन की स्वीकृति सर्वसम्मति से लिया जाता है :–

1. रिक्त भूखंड धारकों को 01 माह का समय आवेदक के स्वंय के शपथ पत्र के साथ आवेदन करने हेतु प्रदान किया जावें।
2. आवेदन/शपथ प्राप्त न होने पर पूर्व निर्णय अनुसार भूखंड राजसात कर राशि वापसी की कार्यवाही की जावें।

3. आवेदन/शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को निर्माण हेतु 06 माह की अवधि प्रदान की जावे। निर्धारित अवधि में भी निर्माण न होने पर पूर्व निर्णय अनुसार भूखंड राजसातकर राशि वापसी की कार्यवाही की जावें।

4. आवेदक हितग्राही को स्वंय के द्वारा 06 माह में निर्माण करने का एवं न करने की स्थिति में भू-खण्ड का आबंटन निरस्त कर निकाय के आधिपत्य में लेते हुए जमा राशि से सेवा शुल्क कटौती कर शेष राशि आबंटिती को वापस किया जावेगा।

5. ऐसे भूखण्डधारी जिनका नई भवन अनुज्ञा के साथ निर्माण अनुमति लेता है उसे आगामी 10 वर्ष तक भूखण्ड विकय करने की अनुमति नही होगी की शर्त के लिये विधिक सहमति हेतु अधिवक्ता महोदय को प्रकरण प्रेषित किया जाना होगा। उनकी सहमति मिलने पर यह शर्त जोडा जावेगा।

6. निर्णय एवं कार्यवाही की सूचना सर्वसंबंधित हितग्राहियों को समाचार पत्र आदि के माध्यम से अंतिम सूचना के रूप में सूचित किया जावे ।

इस विषय पर त्वरित निराकरण के लिये सदन की सहमति से सभापति महोदय द्वारा विशेष समिति का गठन निम्नानुसार किया गया :-

1.	महापौर	श्रीमती चंद्रकांता माण्डले	पदेन अध्यक्ष
2.	सभापति	श्री विजय जैन	सदस्य
3.	आयुक्त	श्री लोकेश्वर साहू	सदस्य
4.	प्रभारी आवास एवं पर्यावरण	श्रीमती सुषमा जेठानी	सदस्य
5.	पार्षद	श्री राजेश दाण्डेकर	सदस्य
6.	पार्षद	श्री संतोष तिवारी	सदस्य
7.	पार्षद	श्री दिलीप पटेल	सदस्य
8.	कार्यपालन अभियंता	श्री आर के चंद्राकर	सदस्य सचिव

उपरोक्त विशेष समिति द्वारा लिये गये निर्णय परिषद् को मान्य होगा का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।

सचिव

अध्यक्ष (स्पीकर)

D:\SwasthVibhag-2017\Parishad-2017